

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

रवि कुमार

बनाम

बिहार राज्य

2023 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 1754

26 सितम्बर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल हुआ कि पीड़िता "बालिका" थी, जैसा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(डी) में परिभाषित है, जिससे धारा 29 एवं 30 के तहत विधिक धारणा लागू की जा सके?
- जब पीड़िता परीक्षण के दौरान अपने बयान से मुकर जाती है, तो क्या धारा 164 दं.प्र.सं के अंतर्गत दर्ज कथन के आधार पर दोषसिद्धि कायम रह सकती है?
- क्या बिना धारा 65 बी के प्रमाण-पत्र के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (पेन ड्राइव में वीडियो) को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है?

हेडनोट्स

अपील-उस दोषसिद्धि वाले निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी/दोषी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया।

निर्णीत: मेडिकल जाँच करने वाले चिकित्सक को अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। (कंडिका 21)

पीड़िता को "बालक/बालिका" सिद्ध नहीं किया गया, जैसा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(डी)में परिभाषित किया गया है। (कंडिका 22)

एक वीडियो क्लिप पेन ड्राइव में न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो कि द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है। इस प्रकार के साक्ष्य की प्रमाणिकता सिद्ध करने हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अंतर्गत प्रमाणपत्र आवश्यक है, किंतु ट्रायल के दौरान ऐसा कोई प्रमाणपत्र रिकॉर्ड में नहीं लाया गया, अतः इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री भी सिद्ध नहीं हो सकी। (कंडिका 23)

पीड़िता ने स्वयं "भेदन यौन उत्पीड़न" से इनकार किया। — अभियोजन पक्ष पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 एवं 30 के तहत उपयुक्त धारणा को लागू करने हेतु आवश्यक मूलभूत तथ्यों को प्रमाणित करने में असफल रहा। (कंडिका 25)

अपील स्वीकृत की जाती है। (कंडिका 26)

न्याय दृष्टान्त

रविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2022) 7 एससीसी 581; जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 7 एससीसी 263

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 376; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 – धाराएं 2(1)(डी), 4, 6, 29, 30; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 – धाराएं 67, 67 ए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धाराएं 164, 313, 374(4), 389(1); भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धाराएं 3, 65 बी; किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 – धारा 94(2)

मुख्य शब्दों की सूची

पॉक्सो; धारा 164 दं.प्र.सं; पॉक्सो के अंतर्गत विधिक धारणा; इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य; धारा 65 बी प्रमाण-पत्र; शत्रुता में गवाही; पॉक्सो अधिनियम में बालक की परिभाषा; वीडियो साक्ष्य की अस्वीकृति; आयु निर्धारण; बयान और वापसी

प्रकरण से उत्पन्न

बिभूतिपुर थाना कांड संख्या 224/2022, जिला: समस्तीपुर

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री महेन्द्र प्रताप, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्रीमती अभा सिंह, अपर लोक अभियोजक

रिपोर्टर के द्वारा हैडनोट्स बनाए गए : अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 1754**

थाना कांड सं.-224, वर्ष-2022, थाना-बिभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर से उद्धृत

रवि कुमार, पिता - बाल किशोर साह, निवासी, ग्राम - देशरी, वार्ड सं. 19, थाना-बिभूतिपुर,
जिला-समस्तीपुर।

... .. अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... .. उत्तरदाता/ओं

उपस्थिति

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री महेन्द्र प्रताप, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्रीमती आभा सिंह, स. लो. अ.

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तिथि- 26-09-2024

शुरुआत में, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस मामले को "आदेशों के लिए" शीर्षक के तहत लिया गया था, जहां शुरु में दं.प्र.सं. की धारा 389 (1) के तहत जमानत और सजा के निलंबन की प्रार्थना अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई थी, लेकिन संक्षिप्त तर्क के बाद, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह इस मामले में अंतिम तर्क के लिए तैयार है, जिस पर विद्वान स. लो. अ द्वारा आपत्ति नहीं जताई गई थी और इसलिए, इस मामले की सुनवाई अंततः उपरोक्त शीर्षक के तहत की गई थी। अंतिम सुनवाई के लिए दलीलें मुख्य रूप से दं.प्र.सं. की धारा 374(4) के दृष्टिगत उठाया गया था, जिसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक ऐसे अपील का निर्णय उसके दायर किए जाने की तिथि से छह माह के भीतर किया जाना चाहिए।

2. वर्तमान अपील अभियुक्त/अपीलार्थी रवि कुमार द्वारा समस्तीपुर के विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6वें-सह-विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2023 के दोषसिद्धि के निर्णय और 09.02.2023 के

आक्षेपित दंडादेश के विरुद्ध दायर की गई है। यह मामला टी.आर 248/2023, आर.एन. 157/2022 के अन्तर्गत है, जो कि बिभूतिपुर थाना कांड सं. 224/2022 से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी को पाँक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध के लिए दस वर्षों के कठोर कारावास और ₹20,000/- (बीस हजार रुपए मात्र) जुर्माने की सजा सुनाई गई है, तथा जुर्माना न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त छह माह का कठोर कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध के लिए भी दस वर्षों के कठोर कारावास और ₹20,000/- जुर्माने की सजा दी गई है, तथा जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त छह माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया है।

3. अभियोजन पक्ष के मामले का सार, जैसा कि सूचनादाता काजल कुमारी की लिखित सूचना से प्रतीत होता है, यह है कि दिनांक 04.06.2022 को, जब वह अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तब उसने अपने गाँव स्थित ज्ञान शारदे कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। वहीं उसकी भेंट कोचिंग शिक्षक रवि कुमार (अपीलार्थी) से हुई। अध्ययन के दौरान उसके और रवि कुमार के बीच निकटता बढ़ी और दिनांक 31.05.2022 को अपीलार्थी ने उससे विवाह का झूठा प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध स्थापित किया। अपीलार्थी ने उक्त घटना का वीडियो भी बना लिया और उसे ब्लैकमेल करते हुए आगे भी शारीरिक संबंध बनाने की मांग करने लगा, जिसे सूचिका ने अस्वीकार कर दिया। इसके प्रतिफलस्वरूप उसका वीडियो वायरल कर दिया गया।

4. अभि. सा.-2/सूचनादाता/पीड़िता की उपरोक्त लिखित जानकारी के साथ, 2022 का बिभूतिपुर थाना कांड सं. 224 भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत, पाँक्सो अधिनियम की धारा 4/6 के तहत और आई. टी. अधिनियम की धारा 67 (ए) के तहत अपराधों के लिए दर्ज किया गया था।

5. जाँच के बाद, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के साथ पाँक्सो अधिनियम की धारा 4/6 और आई. टी. अधिनियम की धारा 67 (ए) के तहत 31.07.2022 पर 2022 का आरोप पत्र सं. 410 प्रस्तुत किया। इसके बाद, अपर सत्र न्यायाधीश-VI-सह-विशेष अदालत (पाँक्सो), समस्तीपुर ने अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, पाँक्सो अधिनियम की धारा 4 और आई. टी. अधिनियम की धारा 67 और 67 (ए) के तहत विचारण और निपटारे के लिए अपराध का संज्ञान लिया।

6. विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष अपना मामला स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाहों की जांच की, जिनमें अभि. सा.-1 कन्हैया कुमार (सूचनादाता का अपना भाई) अभि. सा.-2 काजल कुमारी (सूचनादाता), अभि. सा.-3 रीता देवी (सूचनादाता की मां), अभि. सा.-4 रामनाथ चौरसिया उर्फ मुकेश कुमार, अभि. सा.-5 संजय कुमार और अभि. सा.-6 लवली कुमारी (मामले की आई. ओ.) शामिल हैं।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए मुकदमे के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों का भी प्रदर्शन किया जो इस प्रकार हैं:

प्रदर्श-पी1/अभि. सा.-2 – धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज बयान पर सूचनादाता के हस्ताक्षर।

प्रदर्श-पी2/अभि. सा.-2 – चिकित्सीय परीक्षण हेतु अनुशंसा पत्र पर पीड़िता के हस्ताक्षर।

प्रदर्श-पी3/1 अभि. सा.-6 से प्रदर्श-पी3/3 अभि. सा.-6 – औपचारिक प्राथमिकी पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर।

प्रदर्श-पी4/अभि. सा.-6 एवं एमओ1/अभि. सा.-6 – जसी सूची एवं चिकित्सीय वस्तु पर एस. जे. ओ. के हस्ताक्षर।

प्रदर्श-पी5/अभि. सा.-6 – आरोप-पत्र।

8. मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त की दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत जांच की गई, जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रस्तुत सभी साक्ष्यों से इनकार किया तथा स्वयं को पूर्णतः निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का दावा किया।

9. मुकदमे के दौरान अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से किसी भी बचाव पक्ष के गवाहों/दस्तावेजों की जांच नहीं की गई।

10. उपर्युक्त साक्ष्यों के आधार पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध घोषित किया गया एवं उपर्युक्तानुसार दंडादेश पारित किया गया। उक्त निर्णय एवं दंडादेश से आहत होकर अपीलार्थी/अभियुक्त ने वर्तमान अपील दायर की है।

11. इसलिए वर्तमान अपील।

12. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कहा नहीं जा सकता कि अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे सिद्ध कर लिया है। यह भी उल्लेख किया गया कि पीड़िता ने भी घटना का समर्थन नहीं किया है और केवल धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज बयान को आधार बनाकर इस मामले में धारा 29 एवं 30 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सुभूमिका लगाकर अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने का प्रयास किया गया। यह भी कहा गया कि धारा 164 का बयान 'साक्ष्य' नहीं माना जा सकता क्योंकि यह "साक्ष्य अधिनियम" की धारा 3 के अंतर्गत नहीं आता। माननीय अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अपराध के मौलिक तत्वों को सिद्ध करने में विफल रहा है, इसलिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30 के तहत लगाई गई सुभूमिका कानून की दृष्टि में अवैध प्रतीत होती है। साथ ही यह भी कहा कि पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से कोई ऐसा पुष्टिकरण नहीं मिलता जो यह संकेत दे कि उसके साथ "प्रवेशात्मक यौन" अत्याचार हुआ है, क्योंकि उसने विचारण के दौरान किसी भी शारीरिक संबंध से इनकार किया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि परीक्षण के दौरान प्रदर्शित "पेन ड्राइव" एक द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र के अभाव में साक्ष्य के रूप में नहीं देखा जा सकता है। अभियोजन पक्ष पॉक्सो अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के अर्थ के भीतर पीड़ित को "बच्चे" के रूप में साबित करने में भी विफल रहा। ऐसे सभी सबूत हाथ में होने पर दोषसिद्धि के आक्षेपित फैसले को दरकिनार/रद्द करने की आवश्यकता होती है। तर्क का समापन करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने (2022) 7 एस. सी. सी. 581 के रूप में दर्ज रविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के माध्यम से उपलब्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया।

13. माननीय स. लो. अ. ने अपील का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने अपने चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट और धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज बयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिसमें उसने अपने साथ हुए भेदक यौन हमला की घटना का समर्थन किया। अतः पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 एवं 30 के तहत उपलब्ध सुभूमिका को विवादास्पद नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उक्त पहचान उसकी गवाही का हिस्सा थी। हालांकि, उन्होंने यह स्वीकार किया कि विचारण के दौरान पीड़िता ने अपीलार्थी के साथ किसी भी प्रकार के भेदक यौन हमला को अस्वीकार किया तथा शारीरिक संबंध से इनकार किया।

14. मैंने विचारण न्यायालय के अभिलेखों को ध्यान से देखा है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखा है और प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर भी विचार किया है जैसा कि पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचार किया गया है।

15. साक्ष्य की पुनः सराहना करने के लिए, वर्तमान अपील का निपटारा करते समय, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर चर्चा करना उचित है, जो निम्नानुसार हैं: .

16. वर्तमान घटना का सबसे महत्वपूर्ण गवाह प्रश्नगत अपराध का शिकार है, जिसने मुकदमे के दौरान अभि. सा.-2 के रूप में जाँच की। अदालती सवाल पर, उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि उनकी जन्म तिथि 01.01.2005 है। उसने अपने प्रति-परीक्षण के दौरान गवाही दी कि उसने यह मामला ग्रामीणों के प्रभाव में दर्ज किया था और वह आरोपी/अपीलार्थी से परिचित भी नहीं थी, जबकि उसने दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जो उसकी पहचान पर प्रदर्श-पी1/अभि.सा.-2 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उसने बयान दिया कि उसने अपनी तस्वीर वायरल करने के लिए पुलिस के सामने कोई बयान नहीं दिया। उसने बयान दिया कि आरोपी ने उसके साथ कोई अपराध नहीं किया है। उसने चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की भी पहचान की, जो उसकी पहचान पर प्रदर्श पी2/अभि. सा.-2 के रूप में प्रदर्शित था।

16.1. प्रति-परीक्षण पर, उनके द्वारा यह कहा गया था कि अपीलार्थी/अभियुक्त उनका शिक्षक था और वह उनके कोचिंग संस्थान की छात्रा थीं। यह कहा गया था कि अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ उसकी तस्वीरें अन्य छात्रों ने खींची थी, जिन्होंने इसे वायरल कर दिया। वह नहीं जानती कि इसे किसने वायरल किया। अदालती सवाल पर, उसने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए। उन्होंने यह भी कहा कि वायरल वीडियो क्लिप को इडिट किया गया था, और उन्होंने भ्रमवश वर्तमान मामला दर्ज किया। उसे भी तथ्यात्मक भ्रम/गलतफहमी के कारण दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत अपना बयान देने के लिए प्रस्तुत किया गया था।"

17. अभि. सा.-1 कन्हैया कुमार हैं, जो पीडित का भाई हैं, जिसने बयान दिया कि उसे इस घटना के बारे में तब पता चला जब किसी ने उसे बताया था, जब वह बेंगलोर में था।

17.1 प्रति-परीक्षण करने पर, उसने कहा कि उसकी पीड़ित बहन बालिग थी।

18. अभि. सा.-3 और अभि. सा.-4 क्रमशः रीता देवी और रामनाथ चौरस्या उर्फ मुकेश कुमार हैं, जो मुकदमे के दौरान मुकर जाते हैं, जहां राज्य द्वारा उनकी प्रति-परीक्षण पर कुछ भी ठोस सामने नहीं आया, जिसका उपयोग अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों की गवाही के, विरोधाभास या पुष्टि के लिए किया जा सकता है जो अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते प्रतीत होते हैं।

19. अभि. सा.-5 संजय कुमार हैं, जिसने मुख्य परीक्षण में गवाही दी कि उसे पता चला कि पीड़ित और अपीलार्थी का कुछ वीडियो वायरल हो जाता है। वह घटना का सुनाई देने वाला गवाह प्रतीत होता है।

19.1 प्रति-परीक्षण के बाद, उनके द्वारा यह कहा गया कि उन्होंने उक्त वीडियो कभी नहीं देखा और उन्हें इस घटना के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है।

20. अभि. सा.-6 लवली कुमारी हैं, जो इस मामले की आई. ओ. हैं। उन्होंने वर्तमान मामला दर्ज करने के संबंध में एस. एच. ओ. चंद्रकांत गौरी के समर्थन की पहचान की, जिसे उनकी पहचान पर प्रदर्शन-पी3/अभि. सा.-6 के रूप में प्रदर्शित किया गया। उन्होंने औपचारिक प्राथमिकी के तीनों पृष्ठों पर तत्कालीन एस. एच. ओ. के छोटे हस्ताक्षर की भी पहचान की, जो उनकी पहचान पर प्रदर्श-पी3/1/अभि. सा.-6, पी3/2/अभि. सा.-6 और पी3/3/अभि. सा.-6 के रूप में क्रमशः प्रदर्शित किए गए थे। उसने बताया कि पीड़िता ने जांच के दौरान यह समर्थन किया कि अपीलार्थी ने उससे शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध स्थापित किया। इसके लिए उसने उसे 31.05.2022 को लगभग दोपहर 1:00 बजे अपने कोचिंग संस्थान में बुलाया और वहां शारीरिक संबंध बनाया। साथ ही, उसने उन अंतरंग पलों का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और बाद में उसे वायरल करने की धमकी दी।

उन्होंने जाँच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए। उन्होंने घटना स्थल का दौरा भी किया। उनके द्वारा यह कहा गया था कि उन्होंने वीडियो क्लिप की जब्ती तैयार की थी, जो उसे पीड़ित के भाई, संजय पंडित (अभि. सा.-5) और संजीव कुमार द्वारा पेन ड्राइव में दी गई थी, जिसे इस मामले के जांच अधिकारी होने के नाते उन्होंने भी देखा था, जहां उन्होंने पाया कि पीड़ित और अपीलार्थी/आरोपी शारीरिक संबंध बना रहे हैं। उन्होंने उक्त जब्ती सूची के संबंध में अपने हस्ताक्षर और लिखावट की पहचान की, जिसे उनकी

पहचान पर प्रदर्श-पी4/अभि. सा.-6 के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसे सामग्री प्रदर्श सं. एमओ-1/अभि. सा.-6 के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

जाँच के दौरान, उन्होंने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से पीड़िता का प्रवेश पत्र भी एकत्र किया जो 10वीं कक्षा की परीक्षा लिए जारी किया गया, जिसमें उसकी जन्म तिथि "02.06.2007" के रूप में उल्लिखित थी। उन्होंने पीड़िता का आधार कार्ड भी प्राप्त किया। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि उक्त मैट्रिक प्रमाणपत्र को मूल रूप से रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था और परीक्षण के दौरान छायाप्रति भी प्रदर्शित नहीं की गई थी। जाँच पूरी होने के बाद, उन्होंने अपीलार्थी/अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराधों के लिए, पॉक्सो अधिनियम की धारा 4/6 के तहत अपराधों के लिए और आई. टी. अधिनियम की धारा 67 ए के तहत अपराधों के लिए भी आरोप पत्र सं. 410/2022 दिनांक 31.07.2022 प्रस्तुत किया। उक्त आरोप पत्र उनकी लिखावट में उनके हस्ताक्षर के साथ लिखा गया था, जो उनकी पहचान पर प्रदर्श सं पी5/अभि. सा.-6 के रूप में प्रदर्शित किया गया था

20.1 प्रति-परीक्षण पर, उनके द्वारा यह कहा गया था कि मूल प्रवेश पत्र उन्हें जाँच के दौरान दिखाया गया था, लेकिन उन्होंने केवल छायाप्रति एकत्र की थी। उन्होंने यह जांच नहीं की थी कि वीडियो किस मोबाइल से वायरल किया गया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इस मामले की जांच त्रुटिपूर्ण थी।

21. अभिलेख के अवलोकन से आगे यह प्रतीत होता है कि पीड़ित की जांच करने वाले डॉक्टर की इस मामले में जांच नहीं की गई थी।

22. अभिलेख के अवलोकन और पीड़ित/अभि. सा.-2 की गवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि जन्म तिथि का दावा 01.01.2005 के रूप में किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार 31.05.2022 पर घटना को अंजाम दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब देने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या पीड़ित को पॉक्सो अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के अर्थ के भीतर "बच्चा" साबित किया गया था। अभि. सा.-1, जो कोई नहीं बल्कि पीड़ित का भाई है, के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि घटना की तारीख को उसकी बहन बालिग थी। यहां तक कि अभि. सा.-6, जो इस मामले की आई. ओ. है, के बयान के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने केवल 10वीं कक्षा के प्रवेश पत्र की

छायाप्रति एकत्र की थी, जहां पीड़ित की उम्र 02.06.2007 के रूप में दर्ज की गई थी, और मूल दस्तावेज के अभाव में वह मुकदमे के दौरान प्रदर्शित नहीं किया गया था। रेडियोलॉजिकल परीक्षण के आधार पर पीड़ित की चिकित्सा आयु के बारे में निष्कर्षों का पता लगाने के लिए इस मामले में परीक्षण के दौरान डॉक्टर भी जांच नहीं करते हैं। उक्त बात को ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से जवाब दिया जा सकता है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 (2) के संदर्भ में मुकदमे के दौरान पॉक्सो अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के तहत पीड़ित को "बच्चा" साबित नहीं किया गया था, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (2013) 7 एस. सी. सी. 263 के द्वारा **जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य** के माध्यम से प्रतिवेदित है।

23. अभि. सा.-2/ स्वयं पीड़ित के बयान से आगे यह प्रतीत होता है कि उसने यह मामला ग्रामीणों के कहने पर दर्ज किया था और अपीलार्थी ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने अदालत के सवाल पर स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलार्थी ने उसके साथ कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया था। उसने यह भी कहा कि उसने गलतफहमी/भ्रम के कारण दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत बयान दिया और वह यह नहीं कह सकती कि उसका वीडियो किसने वायरल किया। यहां तक कि अभि. सा.-6 खुद इस बिन्दु पर जाँच नहीं कर सकी कि उक्त वीडियो किस मोबाइल से वायरल किया गया था। इसके अलावा, वीडियो क्लिप को पेन ड्राइव में अदालत के दौरान पेश किया गया था, जिसे मुकदमे के दौरान एमओ-1/अभि. सा.-6 के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जो एक द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है, और इसलिए इसकी सामग्री को साबित करने के लिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत एक प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जिसे मुकदमे के दौरान रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था और इसलिए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री भी साबित नहीं हुई थी। इसके अलावा, अपीलार्थी को आई. टी. अधिनियम की धारा 67 (ए) के तहत अपराधों से बरी कर दिया गया था।

24. **रविंदर सिंह मामले (उपर्युक्त)** के कंडिका संख्या 22 को उद्धृत करना उपयुक्त होगा, जो इस प्रकार है:

"22.उपरोक्त के प्रकाश में, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विधि के अनुसार होने चाहिए थे और उन्हें प्रमाणन की आवश्यक शर्तों का पालन करना चाहिए था, ताकि वे विधिक रूप से न्यायालय में स्वीकार्य हो सकें। जैसा कि ऊपर सही रूप से कहा गया है, ऐसे प्रमाण पत्र के

स्थान पर मौखिक साक्ष्य, जैसा कि वर्तमान मामले में है, पर्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि धारा 65-बी(4) एक अनिवार्य कानूनी प्रावधान है।”

25. अभि. सा.-2/पीडित के रूप में साक्ष्य की उपरोक्त चर्चा को देखते हुए स्वयं किसी भी बात से इनकार किया “भेदक यौन हमला”, जहाँ द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अर्थात् पेन ड्राइव साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी को देखते हुए साबित नहीं होता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30 के तहत उपलब्ध अनुमान को आयात करने के लिए इस मामले के मूलभूत पहलुओं को स्थापित किया है।

26. इसलिए, अपील की अनुमति दी जाती है।

27. तदनुसार, 2023 के टी. आर. 248, 2022 के आर. एन. 157 में प्रबुद्ध अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश VI वें-सह-विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, समस्तीपुर द्वारा पारित दिनांक 27.01.2023 का आक्षेपित निर्णय और 09.02.2023 दिनांकित सजा का आक्षेपित आदेश, जो 2022 के बिभूतिपुर थाना कांड सं. 224 से उत्पन्न होता है, इसके द्वारा दरकिनार/निरस्त कर दिया जाता है।

28. अपीलार्थी, रवि कुमार, इस मामले में हिरासत में हैं, यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

29. जुर्माना, यदि कोई हो, तो अपीलार्थी को तुरंत वापस कर दिया जाए।

30. कार्यालय को इस फैसले की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख को तुरंत विचारण न्यायालय को वापस भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

वीणा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।